सेवा में,
जन सूचना अधिकारी/मुख्य अधिशाषी अधिकारी,
कार्यालय छावनी परिषद,मथुरा छावनी,मथुरा।
विषय:सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ६ (१) के अन्तर्गत आवेदन।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आवेदक को निम्न बिन्दुओं पर सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ७(१) द्वारा विनिर्धारित समयान्तर्गत निम्न सूचना पंजीकृत पत्र द्वारा निम्न पते पर अविलम्ब प्रदान की जावे। नियमानुसार निर्धारित शुल्क रु० १०/— मूल्य का पोस्टल आर्डर संख्या 37F 285415 संलग्न है।

१.सूचना प्रदान की जावे कि मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक १६.०४.२०१८ पर क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी? उक्त पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदान की जावे।

२.सूचना दी जावे कि सेन्ट्रल रेलवेज एम्पलोईज कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० मथुरा निबन्ध संख्या १३०२ ता० ११.०८.१९६४ (जिसे आगे समिति कहा गया) मोजा विरजापुर मथुरा स्थित भूमि को आवासीय भूखण्डों में विभाजित कर उसका विन्यास मानचित्र मथुरा केन्टोनमेट बोर्ड मथुरा से किस दिनांक को स्वीकृत कराया गया। प्रमाणित प्रति दी जावे।

३. सूचना दी जावे कि सेन्ट्रल रेलवेज एम्पलोईज कोओपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लि० मथुरा निबन्ध संख्या १३०२ ता० ११.०८.१९६४(जिसे आगे समिति कहा गया) मोजा विरजापुर मथुरा स्थित भूमि को आवासीय भूखण्डों में विभाजित कर उसका विन्यास मानचित्र मथुरा केन्टोनमेट बोर्ड मथुरा का उस समय स्वीकृत हुआ आवासीय भूखण्डों में मानचित्र की प्रमाणित प्रति प्रदान की जावे।

४.सूचना दी जावे कि मेरे भूखण्ड(प्लाट संख्या ७९,अब मकान) के पश्चिम दिशा में मथुरा केन्टोनमेट बोर्ड मथुरा द्वारा जब मानचित्र उक्त कालोनी का स्वीकृत किया था तब उस दिनांक को मानचित्र में क्या अंकित था? प्रमाणित प्रति दी जावें। ओर आज वर्तमान में मानचित्र में अंकित स्थान पर मानचित्र के विपरीत क्या मौजूद है?

यह कि मिथ्या/बहकावापूर्ण/अस्पष्ट/अपठनीय सूचना प्राप्त होने अथवा धारा ७ (१) का उल्लघन किये जाने की स्थिति में प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम,पदनाम व पता की सूचना भी प्रदान की जावे।

दिनांक:१४.०५.२०१८

आवेदक,
मोहन कुमार पाठक
शान्ती नगर ,महोली रोड
मथुरा

प्रतिलिपि:मा०केन्द्रीय सूचना आयोग नई दिल्ली को अपील/शिकायत के समय संज्ञान में लिए जाने हेतु प्रेषित।

CPIO
26/5

28/5/18